सूचना विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों को सुविधाएं दिलाये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, की अध्यक्षता में दिनांक 17 मई, 2016 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

1– श्री सुधेश कुमार ओझा, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

2– श्री बाबूलाल श्रीवास, विशेष सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।

3– श्री आर0एस0 पाण्डेय, अपर निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

4– श्री अशोक बनर्जी, संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

सूचना विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों को सुविधाएं प्रदान किए जाने के संबंध में विचार–विमर्शोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गएः–

1– दुर्घटना होने पर कलाकारों का दुर्घटना बीमाः–

सांस्कृतिक दलों को दुर्घटना बीमा दिलाए जाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व की भांति किसी इंशोरेन्स कम्पनी से सम्पर्क कर सामूहिक दुर्घटना बीमा करवा दिया जाए। बीमे की प्रीमियम का भुगतान सम्बन्धित दल द्वारा वहन किया जायेगा।

(कार्यवाही– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/पंजीकृत सांस्कृतिक दल)

2. रोडवेज/रेल में किराया माफ करनाः–

सांस्कृतिक दलों को रोडवेज/रेल में किराया माफ कराए जाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि बस/रेल द्वारा यात्रा किराया माफ किए जाने का सम्प्रति कोई औचित्य नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी यह व्यवस्था की गयी है कि जिस भी दल को कार्यक्रम दिया जाता है, यदि कार्यक्रम स्थल की दूरी 300 किमी से ऊपर की है तो वह दल रेलवे रियायती प्रमाण–पत्र विभाग से प्राप्त कर ले और सम्बन्धित मण्डल रेल प्रबंधक के कार्यालय से रेल यात्रा पर रियायत प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकता है। उक्त व्यवस्था वर्तमान में भी प्रभावी है।

3. पेंशन के सम्बन्ध मेंः–

सांस्कृतिक दलों को पेंशन दिए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि संस्कृति विभाग, उ0प्र0 द्वारा 60 वर्ष की आयु के ऊपर के वृद्ध एवं आर्थिक रूप से विपन्न कलाकारों के आवेदन करने एवं चयनित होने पर रू0 3,000/– प्रति माह पेंशन प्रदान करती है। विभाग द्वारा पंजीकृत कलाकारों की श्रेणी में यदि कोई कलाकार आवेदन करता है, तो उस स्थिति में ऐसे कलाकारों का आवेदन–पत्र निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 द्वारा संस्तुति सहित संस्कृति विभाग, उ0प्र0 को विचारार्थ भेजा जाएगा।
(कार्यवाही–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/संस्कृति विभाग/पंजीकृत सांस्कृतिक दल)

4. **लखनऊ आने पर आवास सुविधाः—**

सांस्कृतिक दलों के लखनऊ प्रवास/आगमन पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा आवास व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

5. **कलाकारों को बार—बार आडीशन से मुक्तिः—**

सांस्कृतिक दलों के कलाकारों को बार—बार आडीशन से मुक्ति दिलाए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में आडीशन प्रत्येक तीन वर्ष के उपरान्त ही होगा।

(कार्यवाही— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)

6. **कलाकारों को कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षाः—**

सांस्कृतिक दलों के कलाकारों को कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि जब दलों को कार्यक्रम आवंटित किया जाए, तब उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिले के पुलिस प्रशासन को इस आशय से पृष्ठांकित कर दी जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर कलाकारों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

(कार्यवाही— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/पंजीकृत सांस्कृतिक दल)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
सूचना अनुभाग—2
संख्या—407 /उन्नीस—2—2016—42/2001
लखनऊः दिनांक 13 जून, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक (श्री अशोक बनर्जी), सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. पंजीकृत सांस्कृतिक दल द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
5. वित्त (व्यय—नियत्रंण) अनुभाग—7।
6. सूचना अनुभाग—1/2।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डा0 अशोक कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव